# ध्यानाकर्षण

## श्री संजय कुमार सिंह, माननीय स०वि०प० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र० सं० | ध्यानाकर्षण सूचना | उत्तर सामग्री |
|---|---|---|
| 1. | राज्य में भूजल निकालने की प्रक्रिया लगातार बढ़ रही है, जबकि जमीन रिचार्ज होने की गति काफी कम है। यदि एक या दो साल ढंग से बारिश नहीं हुई तो भूजल का स्तर काफी नीचे जा सकता है। राज्य में कृषि कार्यों के साथ–साथ औद्योगिक कार्यों के लिए बेहिसाब भूजल निकाला जा रहा है। राज्य में जितना पानी जमीन के अन्दर जा रहा है, लगभग उतना ही पानी हर साल निकाल लिया जाता है। फलतः पानी का सुरक्षित भंडार बहुत कम रह जाता है। ऐसे में वर्षा जल का संचय करने और तालाबों के जीर्णोद्धार की व्यवस्था वर्तमान में अभीतक अच्छी नहीं है, जबकि वर्षा का जल और तालाब भूजल को सबसे बेहतर ढंग से रिचार्ज करता है। साथ ही राज्य में जिस तरीके से नदियों से बालू निकाला जा रहा है, उसका परिणाम भविष्य में भयंकर हो सकता है, इसलिए बालू की अत्यधिक निकासी को नियंत्रित करना होगा और इसके रोक नियम के लिए कठोर कदम उठाना होगा।<br>अतः राज्य में जल संचय की व्यवस्था नदियों–तालाबों का जीर्णोद्धार और भूजल का दोहन रोकने की व्यवस्था के साथ–साथ नदियों से बालू की निकासी को रोकने के संबंध में, सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ। | वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में जल संसाधन में हो रही कमी के प्रति सरकार काफी गंभीर है। राज्य में जल संसाधन की उपलब्धता की स्थिति का अध्ययन IIT, पटना के विशेषज्ञों के द्वारा कराया गया है। अध्ययन के अनुसार राज्य में वर्ष 2001 में प्रति व्यक्ति सतही जल की उपलब्धता 1594 घन मीटर थी, जो वर्ष 2017 में घटकर 1213 घन मीटर रह गई।<br>राज्य में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में लगातार हो रही कमी को सरकार ने गंभीरता से लिया है। राज्य में कई नदियों/धारों के जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत लखनदेई नदी जो लगभग मृतप्राय थी, का जीर्णोद्धार कर जल प्रवाह को बहाल किया गया है। समस्तीपुर जिला अंतर्गत शान्तिधार तथा सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बेलवाधार का जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है।<br>सहरसा जिला अंतर्गत तिलावे नदी, मधुबनी जिला अंतर्गत जीवछ कमला एवं मृत कमला नदी तथा मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिला अंतर्गत जमुआरी नदी के जीर्णोद्धार कार्य की स्वीकृति दी गई है।<br>जहाँ तक नदी में बालू के खनन से जल संचयन पर प्रभाव पड़ने का प्रश्न है, तो जल संचय के उद्देश्य से नदियों में e-flow सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायगी। |

**बिहार सरकार**

**जल संसाधन विभाग**

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–06–03 / 2025.....पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक–530(1) दिनांक–27.02.2025 के क्रम में ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर प्रतिवेदन तीन प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(शैलेश कुमार भूषण)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–06–03 / 2025.....पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(शैलेश कुमार भूषण)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–06–03 / 2025.2834.....पटना / दिनांक :24.6.25

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

शैलेश
24/06/25
(शैलेश कुमार भूषण)
सरकार के उप सचिव